भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5218
उत्तर देने की तारीख 02 अप्रैल, 2025

बिहार में भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन की चुनौतियां

5218. श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) संबंधी मुद्दे, बार-बार फाइबर टूटना और विक्रेता निष्पादन में विलंब ने बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है;
(ख) यदि हां, तो बिहार में विशेष रूप से ऐसे कितने गांव हैं जहां आरओडब्ल्यू विवादों, फाइबर क्षति अथवा कान्ट्रेक्टर द्वारा विलम्ब के कारण भारतनेट कार्यान्वयन बाधित हुआ है;
(ग) राज्य एजेंसियों और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ लंबित अनुमोदनों या विवादों का ब्यौरा क्या है, जिससे बिहार में समय पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम प्रभावित हुआ है;
(घ) क्या सरकार ने आरओडब्ल्यू के निस्तारण कार्य में तेजी लाने तथा विलम्ब से बचने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) भारतनेट के अंतर्गत बिहार में फाइबर टूटने की कितनी घटनाएं दर्ज की गईं, मरम्मत में औसतन कितना समय लगा तथा नेटवर्क रिजीलिएन्स सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) बिहार सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार में,

भारतनेट चरण-I और चरण-II के तहत योजनाबद्ध 8,340 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। कुछ स्थानों पर, मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुमतियों को प्राप्त करने में देरी, विकास कार्यों के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के क्षतिग्रस्त होने जैसी कठिनाइयाँ आई हैं। संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों आदि के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से समय-समय पर इनका समाधान किया गया है।

(घ) मई,2022 में शुरू किया गया गतिशक्ति संचार पोर्टल केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार (सरकारों), स्थानीय निकायों और सेवा प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों के बीच एक सहयोगी संस्थागत कार्यतंत्र है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करके आरओडब्ल्यू मंजूरी प्राप्त करने में तेजी लाता है। सरकार ने दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है, जिससे आरओडब्ल्यू मंजूरी प्रक्रिया और अधिक सुव्यवस्थित हुई है।

(ङ) बिहार में फाइबर कटने/क्षतिग्रस्त होने की कुछ घटनाएं समय-समय पर भारतनेट में दर्ज की गई हैं और राज्य में नियोजित अनुरक्षण एजेंसी (पीएमए) और फाइबर अनुरक्षण एजेंसी (एफएमए) के साथ मिलकर इनका समाधान किया गया है। नेटवर्क रिजीलिएन्स को सुधारने के लिए, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा पेशेवर एजेंसियों के साथ सेवा स्तर करार (एसएलए) आधारित प्रचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध किए गए हैं। इन एजेंसियों ने भारतनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) रूट की निगरानी और मरम्मत के लिए जिला-वार गश्ती दल और फाइबर मरम्मत दल (एफआरटी) तैनात किए हैं।

***